न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—101/2021/223 आर.टी.एक्ट (2021/101)

1. श्री पन्ना पुत्र श्री घासी (फौत) जरिए वारिसान
   1/1 श्रीमती भंवरी पत्नी स्व0 श्री पन्ना जाति गुर्जर
   1/2 भैरू पुत्र स्व0 श्री पन्ना जाति गुर्जर (फौत) जरिए वारिसान
   1/2/1 हरि पुत्र स्व0 श्री भैरू जाति गुर्जर
   1/2/2 श्रीमती रेखा पुत्री स्व0 श्री भैरू जाति गुर्जर
   1/2/3 रामपाल पुत्र स्व0 श्री भैरू जाति गुर्जर
   1/2/4 पूजा पुत्री स्व0 श्री भैरू जाति गुर्जर
   1/3 ऊंकार पुत्र स्व0 श्री पन्ना जाति गुर्जर
   1/4 रघुनाथ पुत्र स्व0 श्री पन्ना जाति गुर्जर
   1/5 चन्ता पुत्री स्व0 श्री पन्ना जाति गुर्जर
   1/6 सोहनी पुत्री स्व0 श्री पन्ना जाति गुर्जर
2. श्री छीतर पुत्र घासी (फौत) जरिए वारिसान
   2/1 धन्ना पुत्र स्व0 श्री छीतर जाति गुर्जर
   2/2 किशना पुत्र स्व0 श्री छीतर जाति गुर्जर
   समस्त निवासीगण ग्राम मण्डियानी तहसील नसीराबाद

अपीलांट्स

बनाम

1. श्री हमीरा दत्तक पुत्र हीरा जाति गुर्जर निवासी मण्डियानी तहसील नसीराबाद।
2. श्रीमती छोटी पत्नि रामचन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर
3. अमरचंद पुत्र रामचन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर
4. राजू पुत्र रामचन्द्र गुर्जर जाति गुर्जर
   हाल निवासी पंचशील (केरिया) माकडवाली रोड अजमेर।
5. धर्मेन्द्र पुत्र काना जाति गुर्जर
6. नौसर पुत्री काना जाति गुर्जर
   हाल निवासी गणेशगढ शास्त्री नगर, लोहागल रोड, अजमेर।
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 98/2011

उपस्थितः—

1. श्री एन0के0जैन अभिभाषक अपीलांट
2. श्री सुमित जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2 से 6
3. श्री विकास पराशर राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 7
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—21.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/अपीलांटगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावे व जवाब दावे के आधार पर दो तनकीयां निर्मित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तनकीयां वादी/अपीलांटगण के विरूद्ध तय किए जाने से प्रकरण का निर्णय दिनांक 26.03.2021 को किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर कथन किया कि अपीलाधीन भूमि से संबंधित राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां कि जिनका विवरण निम्नानुसार है कि जिन्हे अपील पत्रावली के रिकार्ड पर लिए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत है। प्रमाणित प्रति चौसाला जमाबंदी संवत 2019—2022, प्रमाणित प्रति खतौनी बंदोबस्त जमाबंदी, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2016—2019, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2016—2019, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2014—2017, प्रमाणित प्रति खसरा गिरदावरी संवत 2016—2019 वर्णित दस्तावेज जो कि अपीलाधीन भूमि से ही संबंधित है, राजस्व अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां है, संदेह से परे हैं सुसंगत दस्तावेज है आवेदनकर्तागण को आवेदन पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित दस्तावेज जो कि उक्त अपील प्रस्तुत करने के पश्चात ही प्राप्त हुए इस कारण अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किए जा सके। जिन्हें अपील पत्रावली के रिकार्ड पर लिए जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत है। अतः न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रस्तुत दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाकर बतौर साक्ष्य शुमार फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 जा0दी0 पर जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलांट ने संबंधित भूमि के संबंध में जो राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपियां न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है उसकी जानकारी वादी/अपीलांट को प्रथम दिन से ही थी और यह चूंकि राजस्व रिकार्ड है कि अपने आपमे सार्वजनिक दस्तावेज है जिसकी प्रतिलिपी कोई भी व्यक्ति नियमानुसार शुल्क जमा

कराकर प्राप्त कर सकता है। अपीलांट/वादी ने ऐसा कोई कारण नहीं लिखा जिसकी वजह से इस रिकार्ड को अपीलांट/वादी ने उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हो। ऐसा कोई दस्तावेज जिसकी जानकारी वादी को दावा करते समय नहीं हो तो उस परिस्थिति में न्यायालय उसको रिकार्ड पर ले सकती है एवं दूसरी परिस्थिति ऐसा दस्तावेज जिसको निचली अदालत अर्थात उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ने रिकार्ड पर लेने से इंकार कर दिया हो तो ही आदेश 41 नियम 27 के तहत अपीलीय न्यायालय को प्रदर्शित नहीं किया गया है इसलिए नियमानुसार न्यायालय कानूनी कार्यवाही में इस दस्तोवज को पढ ही नहीं सकते है। अपीलांट द्वारा यह दस्तावेज मात्र अपील के डिस्पोसल में देरी करने के उददेश्य से प्रस्तुत किए गए है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी सुसंगत दस्तावेज नहीं होने से निरस्त फरमाए जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 सीपीसी पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित है, न्याय निर्णय में सहायक होगी इस कारण न्यायहित में *रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को अभिलेख पर लिया जाता है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अपीलाधीन भूमि जिसके खातेदार शोराम पुत्र चौथू जाति गुर्जर थे कि जिनका स्वर्गवास हो चुका है जिनके वारिस हीरा, गोकल, सूजा, नारायण, गोदू व जवारा कि इनमें से जवारा लाऔलाद फौत हो चुका था तथा श्री गोदू पुत्र शोराम के वारिसान अपीलार्थीगण है तथा श्री शोराम पुत्र चौथू के द्वारा धारित भूमि जिसका कुल क्षेत्रफल 76 बीघा 1 बिस्वा कि जिसके चौसाला खतौनी संख्या 165, 166, 167 कि जिनके खसरा नम्ब 332, 842/1, 842/2, 543, 841/5, 542, 841/2, 544, 841/4, 545, 841/3 एवं 841/1 कुल किता 11 कि जिनका कुल क्षेत्रफल 76 बीघा 1 बिस्वा की भूमि जो श्री शोराम पुत्र चौथू जाति गुर्जर की खातेदारी की भूमि थी कि जिनका श्री शोराम पुत्र चौथू के वारिसान हीरा, गोकल, सूजा, नारायण व गोदू के मध्य आपसी पारिवारिक बंटवारा हो चुका था कि जिसके अनुसार अपीलाधीन भूमि जो कि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता हीरा पुत्र शोराम को प्राप्त हुई कि जिसे हीरा पुत्र शोराम के द्वारा जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 1.4.1974 को ही वादी संख्या 1 व 2 श्री पन्ना व छीतर पुत्रगण घासी को ही बेचान कर कब्जा संभला दिया गया तथा पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार भू–अभिलेख में जरिये नामांतरकरण के इन्द्राज भी किया गया परन्तु भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं राजस्व अधिकारियों के द्वारा राजस्व अभिलेख, वर्किंग जमाबन्दी एवं वर्तमान जमाबन्दी में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 के नाम गलत इन्द्राज किया गया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 हमीरा मुतबन्ना हीरा के पिता श्री हीरा पुत्र शोराम के द्वारा ही जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अपीलाधीन भूमि वादीगण पन्ना व छीतर को बेचान कर कब्जा संभला दिया तथा वादीगण पन्ना व छीतर के जीवनकाल तक विधिक रूप से बिना किसी दखल, व्यवधान के काश्त की जाती रही तथा पन्ना व छीतर के स्वर्गवास के पश्चात उनके वारिसान के द्वारा ही काश्त की जाती रही है, इस प्रकार अपीलाधीन भूमि कि जिसे पर दिनांक 1.4.1974 से निरन्तर कब्जा काश्त चला आया है कि जिसकी सम्पूर्ण जानकारी

प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 को थी एवं रही तथा इस संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पंजीबद्ध विक्रय पत्र भी प्रस्तुत किया गया परन्तु अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पत्रावली पर प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के प्रतिकूल अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जो निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वाद पत्र में विवाद बिन्दु संख्या 1 आया वादग्रस्त आराजी वादी की विधिक क्रयशुदा होने से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है, इस संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण के द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य एवं वाद पत्र में प्रस्तुत अभिवचन के प्रतिकूल विवाद बिन्दु संख्या 1 का निर्णय किया गया जो गलत है तथा विवाद बिन्दु संख्या 2 आया विक्रय पत्र फर्जी होने से वाद खारिज योग्य है, जबकि इस विवाद बिन्दु का भार प्रतिवादीगण पर था कि इस संदर्भ में प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य, दस्तावेजी सबूत ही प्रस्तुत नहीं किया गया कि वादीगण के पक्ष में पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 1.4.1974 फर्जी हो कि इसके बावजूद विवाद बिन्दु संख्या 2 का निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सही नहीं किया बल्कि विवाद बिन्दु संख्या 1 के साथ ही 2 का भी निर्णय किया गया जो गलत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण के द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया कि जिसमें विवादित भूमि हमीरा मुतबन्ना हीरा प्रतिवादी संख्या 1 की होना दर्शाया जबकि प्रतिवादी संख्या 1 हमीरा मुतबन्ना हीरा के पिता हीरा पुत्र शोराम के द्वारा ही अपीलाधीन भूमि को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 1.4.1974 को ही प्रतिफल की राशि की ऐवज में बेचान कर कब्जा संभला दिया गया तथा दिनांक 1.4.1974 से निरन्तर वादीगण पन्ना व छीतर के द्वारा काश्त की जाती रही तथा इनके स्वर्गवास के पश्चात वारिसान अपीलार्थीगण के द्वारा ही काश्त की जाती रही है, कि इन समस्त तथ्यों की प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 को पूर्ण जानकारी थी एवं रही, पंजीबद्ध विक्रय पत्र कि जिसे प्रतिवादीगण के द्वारा सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष कोई चुनौति ही नहीं दी गई तथा पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 1.4.1974 जो कि श्री हीरा पुत्र शोराम के द्वारा वादीगण पन्ना व छीतर के पक्ष में किया गया कि जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बिना किसी आधार के अविश्वास कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जो पारित की गई निरस्त किए जाने योग्य है। अपीलाधीन भूमि कि जिसे श्री हीरा पुत्र शोराम से जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 1.4.1974 के द्वारा वादीगण पन्ना व छीतर के द्वारा क्रय की गई कि इस पंजीबद्ध विक्रय पत्र में वर्किंग खसरा नम्बर 1022 रकबा 1 बीघा के वर्तमान खसरा नम्बर 1048 की भूमि जो कि विक्रय पत्र में सहवन से दर्शा दी गई, इस प्रकार पंजीबद्ध विक्रय पत्र के अनुसार क्रयशुदा भूमि से प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 का कोई हक, अधिकार, सरोकार, वास्ता ना था, ना रहा एवं आज भी नहीं है तथा वादीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित अभिवचन के प्रतिकूल, विरोध में ऐसी कोई साक्ष्य सबूत ही प्रस्तुत नहीं की गई, अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि चौसाला जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज है। वर्किंग जमाबंदी में उक्त आराजी के मूल खातेदार हमीरा मुतबन्ना हीरा, रामचन्द्र काना पि० हजारी थे। हीरा फौत होने से

नामान्तकरण संख्या 20 दिनांक 09.10.77 को आराजी मुतनाजा हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुयी, तथा छीतर पुत्र सालू के बजाय रामचन्द्र, काना पुत्र हजारी के नाम दर्ज हुयी। वर्किंग जमाबंदी के अनुसार हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा मूल खातेदार तत्पश्चात प्रतिवादीगण/वारिसों के नाम सही रूप से दर्ज की गयी। आराजी मुतनाजा पर वर्षों से प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण व उनके पूर्वजों द्वारा उक्त आराजी का बैचान नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।.

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट्स/वादी ने वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188, 92अ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में दो तनकीयां निर्मित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीयों के आधार पर अपीलांट्स/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 26.03.2021 में खारिज किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट्स द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.04.1974 के अनुसार हीरा द्वारा अपनी आराजीयात का बैचान पन्ना के हक में निष्पादित किया गया। उक्त विक्रय पत्र आज भी प्रभाव में है चूंकि उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को आज दिनांक तक किसी भी सक्षम न्यायालय से रेस्पोडेंट्स द्वारा खारिज या चैलेंज नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में उनके द्वारा इस बाबत किसी प्रकार की कोई फाईण्डिंग नहीं दी गई है कि उक्त आराजीयात का जरिए पंजीबद्ध विक्रय पत्र के आधार पर विक्रय किए जाने के पश्चात भी आराजीयात हमीरा दत्तक पुत्र हीरा के नाम कैसे दर्ज हुई है, जबकि हीरा ने भूमि को पूर्व में ही दिनांक 01.04.1974 को बैचान किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में निर्मित तनकीयों में भी इस बाबत किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, ना ही रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादी द्वारा इस बाबत अपने जवाब दावे में कोई कथन अंकित किए गए है कि बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश के उक्त आराजीयात बैचान के बावजूद कैसे हमीरा के नाम दर्ज हुई। चूंकि हीरा के फौत हो जाने पर उक्त आराजीयात का जरिए नामांतरकरण संख्या 20 दिनांक 09.10.1977 को आराजी मुतनाजा हमीरा पुत्र हीरा के नाम दर्ज हुई है, जबकि उक्त आराजीयात का बैचान हीरा द्वारा 1974 में ही कर दिया गया था तो किस आधार पर उक्त आराजीयात 1977 में हमीरा के नाम दर्ज हो गई। इस प्रश्न का उत्तर ना ही रेस्पोडेंट्स/प्रतिवादी अपने जवाब दावे में दे पाए ना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का उत्तर उनके द्वारा किए गए तनकीवार निर्णय में दिया गया है। क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दो तनकीयां निर्मित की गई थी परंतु उनके द्वारा उक्त तनकीयों पर किसी प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं लिया गया वरन जवाबदावे के आधार पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकीयों का निर्णय किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय को तनकीयां निर्मित कर उक्त तनकीयों पर वादी/प्रतिवादीगण से साक्ष्य लेने चाहिए थे जिसके आधार पर प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था क्यों कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यदि प्रकरण में निर्मित तनकीयों पर साक्ष्य लिए जाते व उक्त साक्ष्यों के आधार पर अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा तनकीयों का विस्तृत विवेचन किया जाता तो प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर अधिक स्पष्ट रूप से हो पाता परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण में इस आधार पर निर्णय पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय बिना साक्ष्य के व बिना गुणावगुण पर फाईण्डिंग दिए पारित किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि कारित की गई है अतः उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

10. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 98/2011 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 26.03.2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर उक्त तनकीयों पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रत्येक तनकी में गुणावगुण पर फाईण्डिंग देते हुए विस्तृत रूप से पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.09.2025 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 21.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर